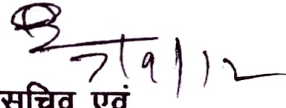


आदेश

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला परिषद राजसमन्द द्वारा जारी विज्ञापन संख्या जिपरा/शिक्षक भर्ती 2012/01 दिनांक 24.02.2012 के अन्तर्गत दिनांक 2 जून 2012 को तृतीय श्रेणी अध्यापक द्वितीय स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों का संलग्न सूची अनुसार दिनांक 07-09-2012 को आयोजित जिला स्थापना समिति की बैठक के निर्णयानुसार चयन किया जाता है।

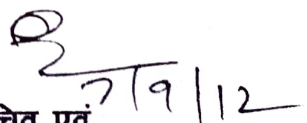
यह चयन माननीय राज0 उच्च न्यायालय में डीबी स्पेशल अपील संख्या 2664/2011 उनवानी राज0 सरकार बनाम दुर्गादास एवं अन्य में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के सम्बन्ध में दिये गए निर्णय दिनांक 6-1-2012 एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भर्ती परीक्षा से सम्बन्धित अन्य विचाराधीन याचिकाओं में पारित/पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।

संलग्न सूची अनुसार


सचिव एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद राजसमन्द

प्रतिलिपि -

1. श्रीमान् शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग राज0 जयपुर।
2. श्रीमान् जिला प्रमुख, जिला परिषद राजसमन्द।
3. श्रीमान् निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा) राजसमन्द को भेजकर लेख है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विषयवार रिक्त पदों की सूची विकास अधिकारी को अविलम्ब आज ही उपलब्ध करावें जिससे नियुक्ति एवं पदस्थापन सम्बन्धी प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति आमेट/भीम/देवगढ/खमनोर/कुम्भलगढ/रेलमगरा/राजसमन्द।
6. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति आमेट/भीम/देवगढ/खमनोर/कुम्भलगढ/रेलमगरा/राजसमन्द।
7. कार्यालय पत्रावली।


सचिव एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद राजसमन्द